



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1943 (श10)

(सं० पटना 662) पटना, मंगलवार, 3 अगस्त 2021

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

30 जुलाई 2021

सं० 1/स्था० (1) 1001/2015-1965-भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल “बिहार पशु चिकित्सा सेवा” (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014 (समय-समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

- यह नियमावली “बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2021” कही जा सकेगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- यह राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली-2014 के नियम-3 के उप नियम (5)

का प्रतिस्थापन :- उक्त नियमावली के नियम-3 के उप नियम (5) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“3 (5) सामान्य संवर्ग में निम्नलिखित पदसोपान होंगे :-

- भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष (मूल कोटि)।
- अनुमंडल पशुपालन पदाधिकारी एवं समकक्ष (प्रथम प्रोन्नति स्तर)।
- जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं समकक्ष (द्वितीय प्रोन्नति स्तर)।
- अपर निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक एवं समकक्ष (तृतीय प्रोन्नति स्तर)।

नोट :-

(i) उपर्युक्त क्रमांक— (i) से (iv) में उल्लिखित पदों का कुल पदबल समय-समय पर सरकार द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(ii) उक्त सभी पदों को वही वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्य होगा जैसा समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय”।

3. बिहार पशु चिकित्सा सेवा” (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली-2014 के अध्याय-4, नियम-10 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-10 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“10 (1) दो वर्षों की संतोषप्रद परीक्षा अवधि के उपरान्त, पशु चिकित्सकों की सेवा अध्याय-3 के नियम-9 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये सम्पुष्ट की जायेगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगा। विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित बातों पर विचार कर प्रोन्नति हेतु अनुशंसा करेगी :-

(क) चारित्रिक अभ्युक्तियाँ।

(ख) स्वच्छता प्रतिवेदन।

(3) प्रोन्नति के लिए कालावधि एवं अन्य शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में विनिश्चित की जायेगी।

(4) प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जायेगा”।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० एन० विजयलक्ष्मी,

सरकार के प्रधान सचिव।

The 30th July 2021

No:- 1/Astha (1) 1001/2015-1967-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following rules to amend the **Bihar Veterinary Service (Appointment and Service condition) Rules, 2014** (as amended time to time) :-

1. Short title , extent and commencement :-

(i) These rules may be called the "**Bihar Veterinary Service (Appointment and Service condition) (Amendment) Rules, 2021**".

(ii) It shall extend to the whole of State of Bihar.

(iii) It shall come into force from the date of Publication in the Gazette.

2. **Substitution of sub rule (5) rule-3 of Bihar Veterinary Service (Appointment and Service condition) Rule 2014.** – Sub Rule (5) of Rule-3 of the said rule shall be substituted by the following :-

"3 (5) The following posts shall be in the chain of posts in General Cadre :-

(i) Touring Veterinary Officer/Block Animal Husbandry Officer and equivalent posts (basic category)

(ii) Sub divisional Animal Husbandry Officer and equivalent posts (First Promotional post)

(iii) District Animal Husbandry Officer and equivalent posts (Second Promotional post)

(iv) Additional Director/Regional Director and equivalent posts (Third Promotional post)

Note :-

- (i) The number of posts mentioned in above Serial Number (i) to (iv) of Bihar Veterinary Service Shall be determined by the State Government from time to time.
- (ii) The pay scale/pay structure of all the above posts shall be such as may be determined by the Finance Department Govt. of Bihar from time to time".

3. Substitution of rule-10 Chapter-4, of Bihar Veterinary Service (Appointment and Service condition) Rule 2014. – Rule-10 of the said rule shall be substituted by the following :-

- "10 (1) After completion of two years of successful probation period, the service of the Veterinary doctors shall be confirmed in view of the provisions of rule-9 of chapter-3
- (2) Promotion shall be considerable on the recommendation of Departmental Promotion Committee. The Departmental Promotion Committee will recommend for promotion after considering the following points:-
 - (a) Character remarks.
 - (b) Vigilance Clearance report.
- (3) Kalawadhi for promotion and other conditions shall be determined by the circulars issued by General Administration Department, from time to time.
- (4) The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the department through separate order".

By Order of the Governor of Bihar,
Dr. N. Vijyalakshmi,
Principle Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 662-571+100-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>